Savitribai Phule Pune University

(Formerly University of Pune)

Circular No. 200/2019

Sub: Regarding refund of fees and Non-retention of Original Certificates.

It is hereby informed to all the concerned that the University Grants Commission has given directives through Notification dated October, 2018 regarding refund of fees and Non-retention of Original Certificates of students for admission in all Affiliated Colleges/Institutes/University Departments. Copy of the same is attached herewith.

All University departments, affiliated colleges/ recognized institutions of the University shall implement the provisions of said UGC Notification.

Ganeshkhind, Pune -7 }
Ref No: - PGS/2596 }
Date: - 08/08/2019 }

Deputy Registrar
(P.G. Admission)

Copy to:

1. The Head of the Departments, Savitribai Phule Pune University, Pune.
2. The Principal/Director, all Affiliated Colleges & Recognized Institutions of SPPU.

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

University Grants Commission

Notification

on

Refund of Fees and Non-Retention of Original Certificates

October, 2018

1. Introduction:

The Commission has notified University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012 on redressal of multifarious grievances of students. But given the sheer volume of the complaints regarding non-refund of fees and retention of original certificates by Higher Educational Institutions (HEI), the Commission felt the need to notify elaborate instructions so as to curb such malpractices and decided to issue appropriate instructions in the form of this Notification to all universities and other HEIs under the purview of the UGC.

2. Objective:

To prohibit coercive and profiteering institutional practices in the matters related to refund of fees in case of withdrawal from the programme and retention of original certificates at the time of and / or after admission.

In exercise of powers conferred by Section 12 (d) read with Section 12(j) of the UGC Act, 1956, the UGC issues this Notification for adoption of standard operating procedures in the matters related to refund of fees in the event of student's withdrawal from the program and non-retention of certificates at the time of admission.

3. Application and Enforcement

3.1. The instructions contained in this Notification shall be in supersession to its earlier Public Notice dated 23.04.2007 and its Notification dated 16th December, 2016. It shall be applicable to Undergraduate, Postgraduate and Research Programs run by universities included under Section 2 (f) of UGC Act, together with all colleges under their affiliating domain and institutions declared as deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act.

3.2 The provisions contained in this Notification shall come into force with immediate effect and shall have regulatory force on extant as well as future grievances over issues and matters covered herein.

4. Specific provisions for Mandatory compliance by HEIs:

The Commission herewith lays down specific provisions and consequent mandatory compliance on the issues related to:

(1) Refund of fees by the institution concerned in the event of the withdrawal from the programme by a student; and

(2) Verification and non-retention of academic and personal certificates of student;

For any complaint in respect of (1) & (2) above, the grievance redressal mechanism as prescribed under UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012, shall be followed.

4.1 Refund of Fees

4.1.1 No HEI shall make it mandatory for applicants to purchase the institutional prospectus at any time during the course of the programme of study. Purchasing prospectus shall be the personal choice of the applicant and he/she shall have rights to decide against it in case he/she wishes to access the information from the institutional website. As laid down in the Right to Information Act, 2005, and reiterated in the UGC Guidelines on Students' Entitlement, all HEIs shall disclose on their website and prospectus information regarding the status of the institution, its affiliation, accreditation

status, physical assets and amenities, course-wise sanctioned intake of students, various types of fees payable for different programmes, total fees payable for an entire programme, last date of admission, details of faculty, members of governing bodies and minutes of the meetings of bodies like Academic/Executive Council, sources of income, the financial situation and any other information about its functioning, necessary for an applicant to make a fully informed choice.

4.1.2 HEIs shall charge fees in advance only for the semester/year in which a student is to engage in academic activities. Collecting advance fees for the entire programme of study or for more than one semester/year in which a student is enrolled is strictly prohibited.

4.1.3 If a student chooses to withdraw from the programme of study in which he/she is enrolled, the institution concerned shall follow the following five-tier system for the refund of fees* remitted by the student.

S. No	Percentage of Refund of fees*	Point of time when notice of withdrawal of admission is received in the HEI
(1)	100%	15 days or more **before** the formally-notified last date of admission
(2)	90%	Less than 15 days **before** the formally-notified last date of admission
(3)	80%	15 days or less **after** the formally-notified last date of admission
(4)	50%	30 days or less, but more than 15 days, **after** formally-notified last date of admission
(5)	00%	More than 30 days **after** formally-notified last date of admission

NOTE : *

4.1.4 In case of (1) in the table above, the HEI concerned shall deduct an amount not more than 5% of the fees paid by the student, subject to a maximum of Rs. 5,000/- as processing charges from the refundable amount.

4.1.5 Fees shall be refunded by all HEIs to an eligible student within fifteen days from the date of receiving a written application from him/her in this regard.

4.2 Verification and Non-retention of Students' Academic and Personal certificates

4.2.1 No HEI shall insist upon a student to submit the original academic and personal certificates, like, mark-sheets, school leaving certificates and other such documents, at the time of submitting admission form, but the submission of self-attested copies thereof shall be mandatory.

4.2.2 HEIs shall physically verify the originals at the time of admission of the student in his/her presence and return them immediately after satisfying themselves about their authenticity, keeping the attested copies for their record.

4.2.3 The self-attested certificates of students shall be held valid and authentic by institution concerned and/or the affiliating university for all purposes and administrative requirements and should there be a need for physical verification at any time during the course of the programme of study, such verification shall be undertaken and the original certificates thus used for verification shall be returned immediately to the student concerned.

4.2.4 Taking the certificates into institutional custody under any circumstance or pretext is strictly prohibited.

4.2.5 In case of any suspicion over the authenticity or genuineness of a certificate, reference may be made to university or the Board which issued the certificate to the student and the admission be subjected to the authentication, but original certificate shall not be retained by the HEI under any circumstance.

4.3 Grievance Redressal Mechanism (GRM)

4.3.1 All HEIs shall mandatorily have a "Grievance Redressal Mechanism" (GRM) as mandated by UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012, as amended from time to time, to address and effectively resolve complaints, representations and grievances related to any of the issues mentioned in this Notification.

4.3.2 The GRM shall be available on HEI website.

4.3.3 HEIs shall ensure that all grievances received are addressed as deemed fit within 30 days.

5. Punitive Actions by Commission against defaulting HEIs

The Commission, in respect of any HEI which contravenes or fails to comply with the provisions of this Notification, shall proceed to take one or more of the following actions, namely:-

(a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under Section 12B of the UGC Act, 1956;

(b) withholding any grant allocated to the HEI;

(c) declaring the HEI ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;

(d) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, about the non-compliance by the HEI concerned;

(e) recommend to the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college / institute;

(f) recommend to the Central Government for withdrawal of declaration as Institution deemed to be university, in case of an institution deemed to be university;

(g) recommend to the appropriate State Government for appropriate necessary action in case of a university established or incorporated under a State Act;

(h) taking such other action within its powers as the Commission may deem fit.

Provided that no action shall be taken by the Commission under this Notification unless the HEI has been given an adequate opportunity of being heard.

(Rajnish Jain)
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

शुल्क के प्रतिदाय तथा मूल प्रमाणपत्रों को प्रतिधारण के संबंध में

अधिसूचना

अक्टूबर, 2018

1. प्राक्कथन:

आयोग ने छात्रों की अनेकानेक शिकायतो के निवारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 अधिसूचित किया है। परंतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा शुल्क के अप्रतिदाय तथा मूल प्रमाणपत्रों को प्रतिधारण के सबंध में शिकायतों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने व्यापक अनुदेशों को अधिसूचित करने की आवश्यकता महसूस की ताकि इस कदाचार पर लगाम लगाई जा सके तथा इस अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के तहत सभी विश्वविद्यालयों तथा अन्य एचईआई को उपर्युक्त अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया।

2. उद्देश्य:

कार्यक्रम से नाम वापस लेने के मामले में शुल्क के प्रतिदाय तथा प्रवेश के समय और/अथवा उसके पश्चात् मूल प्रमाणपत्रों को अपने पास रखने से संबंधित मामलों में बलात् तथा लाभ अर्जक संस्थागत पद्धतियों को निषिद्ध करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ञ) के साथ पठित धारा 12 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम से नाम वापस लेने के मामलें में शुल्क के प्रतिदाय तथा प्रवेश के समय मूल प्रमाणपत्रों को

अपने पास रखने से संबंधित मामलों में मानक प्रचालन पद्धतियों को अंगीकार करने के लिए यह अधिसूचना जारी करता है।

3. अनुप्रयोग तथा प्रवर्तन

3.1 इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट अनुदेश पूर्व में जारी किए गए दिनांक 23 अप्रैल, 2007 की सार्वजनिक सूचना तथा दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 की इसकी अधिसूचना का अधिक्रमण करेंगे। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(च) के तहत सम्मिलित किए गए विश्वविद्यालयों के साथ– साथ उनके संबद्धन के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए गए संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा शोध कार्यक्रमों पर लागू होगी।

3.2 इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट उपबंध तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे तथा उनका यहां कवर किए गए मुद्दों तथा मामलों में वर्तमान के साथ– साथ भावी शिकायतों पर कार्यवाही करने के संबंध में विनियामकारी शक्तियां होंगी।

4. एचईआई द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन किए जाने हेतु विशिष्ट उपबंध

आयोग एतद्द्वारा निम्नवत से संबंधित मुद्दों के बारे में विशिष्ट उपबध तथा परिणामी अनिवार्य अनुपालनाओं का निर्धारण करता है .

(1) किसी छात्र द्वारा किसी कार्यक्रम से नाम वापस लेने की स्थिति में संबंधित संस्थान द्वारा शुल्क का प्रतिदाय; और

(2) छात्र के शैक्षिक तथा व्यक्तिगत प्रमाणपत्रों का सत्यापन करना तथा उनका प्रतिधारण नहीं करना;

उपर्युक्त (1) और (2) के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 में यथा विहित शिकायत निवारण तंत्र का पालन किया जाएगा।

4.1 शुल्क का प्रतिदाय

4.1.1 कोई भी एचईआई आवेदकों के लिए अध्ययन कार्यक्रम के दौरान किसी भी समय संस्थान की विवरणिका को क्रय करने को अनिवार्य नहीं बनाएगा। विवरणिका को क्रय करना आवेदक की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करेगा तथा यदि वह संस्थान की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उसे यह अधिकार होगा कि वह इसे नहीं खरीदने का निर्णय ले। जैसा कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्धारित है तथा छात्रों की हकदारियों संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों में दोहराया गया है, सभी एचईआई अपनी वेबसाइट तथा विवरणिका में संस्थान की स्थिति, इसके संबद्धन, प्रत्यायन के दर्जे, वास्तविक परिसम्पत्तियां तथा सुविधाएं, पाठ्यक्रमवार छात्रों की संस्वीकृत दाखिले की संख्या, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भुगतान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क, किसी संपूर्ण कार्यक्रम के लिए भुगतान किया जाने वाला कुल शुल्क, प्रवेश की अंतिम तिथि, संकाय, शासी निकाय के सदस्यों का ब्योरा, शैक्षिक/ कार्यकारी परिषद् जैसे निकायों की बैठक के कार्यवृत्त, आय के स्रोत, वित्तीय स्थिति तथा इसके कार्यकरण के बारे में कोई अन्य जानकारी, जोकि आवेदक के लिए पूर्ण जानकारीप्रद चुनाव करने के लिए अनिवार्य हो, के संबंध में जानकारियां उद्‌घटित करेंगे।

4.1.2 एचईआई केवल उस सेमेस्टर/ वर्ष के लिए अग्रिम शुल्क प्रभारित करेंगे जिसमें छात्र को शैक्षिक कार्यकलाप करने हैं। संपूर्ण अध्ययन कार्यक्रम जिसमें छात्र नामांकित है, अथवा एक सेमेस्टर/ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अग्रिम शुल्क का संग्रहण करना पूर्णतः वर्जित है।

4.1.3 यदि छात्र, जिस अध्ययन कार्यक्रम में वह नामांकित है, उस अध्ययन कार्यक्रम से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो, छात्र द्वारा जमा किए गए शुल्क के प्रतिदाय के लिए संबंधित संस्थान निम्नवत पांच स्तरीय प्रणाली का पालन करेगा।

क्रम सं.	शुल्क के प्रतिदाय प्रतिशत	एचईआई में प्रवेश को वापस लेने का नोटिस प्राप्त होने का समय
(1)	शतप्रतिशत	प्रवेश की अंतिम तिथि को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने से 15 अथवा इससे अधिक दिन

(2)	90 प्रतिशत	प्रवेश की अंतिम तिथि को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के 15 दिनों से कम
(3)	80 प्रतिशत	प्रवेश की अंतिम तिथि को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने से 15 दिन अथवा कम समय
(4)	50 प्रतिशत	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 से अधिक परंतु 30 दिन पूर्व
(5)	शून्य प्रतिशत	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 30 दिनों के पश्चात्

नोट :– 'अवधान राशि तथा प्रतिभूति जमा राशि, जोकि प्रभारयोग्य शुल्क का भाग नहीं है, उनका पूर्णतः प्रतिदाय किया जाएगा।

4.1.4 उपर्युक्त तालिका में मद (1) के मामले में, एचईआई प्रतिदाय योग्य राशि में से संसाधित किए जाने हेतु प्रभार के रूप में छात्र द्वारा प्रदत्त शुल्क के 5 प्रतिशत से अधिक राशि की कटौती नहीं करेगा, जो कि अधिकतम 5000/– रुपए हो सकती है।

4.1.5 सभी एचईआई द्वारा पात्र छात्रों को, उनके द्वारा इस संबंध में लिखित आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा।

4.2 छात्र के शैक्षिक तथा व्यक्तिगत प्रमाणपत्रों का सत्यापन करना तथा उनका प्रतिधारण नहीं करना

4.2.1 कोई भी एचईआई छात्रों के मूल शैक्षणिक व्यक्तिगत प्रमाणपत्र जैसे अंक तालिका, विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजों को प्रवेश प्रपत्र जमा करते समय संस्थान में जमा करने के लिए नहीं कहेगा, परंतु इन दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगा।

4.2.2 एचईआई प्रवेश के समय छात्रों की उपस्थिति में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा तथा उनकी प्रमाणिकता के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर अनुप्रमाणित प्रतियों को अपने रिकार्ड के लिए रखते हुए मूल प्रमाणपत्रों को तुरंत वापस करेगा।

4.2.3 छात्रों के प्रमाणपत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियों को संबंधित संस्थान और / अथवा संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा सभी प्रयोजनों तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं हेतु वैध तथा प्रमाणिक माना जाएगा तथा अध्ययन कार्यक्रम के दौरान किसी भी समय उनके वास्तविक सत्यापन की आवश्यकता पड़ने पर, ऐसा सत्यापन किया जाएगा तथा सत्यापन हेतु उपयोग किए मूल प्रमाणपत्रों को संबंधित छात्र को तुरंत वापस किया जाएगा।

4.2.4 किसी भी परिस्थिति में अथवा किसी भी कारण से प्रमाणपत्रों को संस्थागत अभिरक्षा में लेना पूर्णरूप से वर्जित है।

4.2.5 किसी प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता पर किसी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड, जिसने छात्र को प्रमाणपत्र जारी किया हो, से एक पत्राचार किया जा सकता है तथा प्रमाणिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाणपत्र को एचईआई द्वारा अपने पास नहीं रखा जाएगा।

4.3 <u>शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम)</u>

4.3.1 सभी एचईआई में, इस अधिसूचना में उल्लिखित किसी मुद्दे के संबंध में शिकायत, अभ्यावेदनों तथा परिवादों का समाधान करने तथा उन्हें प्रभावी रूप से निपटाने के लिए समय– समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 द्वारा यथा अधिदेशित ''शिकायत निवारण तंत्र' होना अनिवार्य है।

4.3.2 जीआरएम, एचईआई की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

4.3.3 एचईआई यह सुनिश्चित करेंगे की प्राप्त हुई सभी शिकायतों का समाधान, जैसा उचित समझा जाए, 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

5. चूककर्ता एचईआई के विरूद्ध आयोग द्वारा की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही

आयोग, इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले अथवा उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने वाले ऐसे किसी भी एचईआई के संबंध में निम्नलिखित एक अथवा एक से अधिक कार्यवाही करेगा, नामतः–

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु उपर्युक्तता की घोषणा को वापस लेना;

(ख) एचईआई को आवंटित किसी अनुदान को रोकना;

(ग) आयोग के सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए एचईआई को अपात्र घोषित करना;

(घ) प्रवेश हेतु संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को समाचार पत्रों अथवा अन्य उपर्युक्त मीडिया तथा आयोग की वेबसाइट पर स्पष्टरूप से नोटिस प्रदर्शित कर संबंधित एचईआई द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करना;

(ङ) किसी महाविद्यालय/ संस्थान के मामले में संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय को संबद्धता को वापस लेने की सिफारिश करना;

(च) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में, केन्द्र सरकार को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा को वापस लेने की सिफारिश करना;

(छ) राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित किसी विश्वविद्यालय के मामले में उपर्युक्त राज्य सरकार को उपर्युक्त आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश करना;

(ज) आयोग द्वारा उसकी शक्तियों के भीतर ऐसी अन्य कार्यवाहियां करना जो आयोग उचित समझे;

बशर्ते कि, आयोग द्वारा इस अधिसूचना के तहत एचईआई के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जबतक कि एचईआई को सुने जाने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया हो।

रजनीश

(रजनीश जैन)
सचिव